दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 29 सितंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 04

महत्वपूर्ण एवं खास

केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्यवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है। गौरतलब है कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी।

पीएफआई पर प्रतिबंध आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक : गृह मंत्री

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के कदम का स्वागत करते हुए आज कहा कि ये एक तरह से आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक पीएफआई से जुड़े 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनसे पूछताछ के बाद जैसे-जैसे सबूत मिलते जाएंगे, वैसे-वैसे सारी स्लीपर सेल पकड़ में आती जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। इससे इस संगठन के पूरे तंत्र नेस्तनाबूद होंगे। भाजपा की सरकार तुष्टिकरण में यकीन नहीं करती। केंद्र सरकार का ये कदम स्वागतयोग्य है। गृह मंत्री ने कहा कि जिस संगठन के देश में विभिन्न स्थानों पर हत्याओं में शामिल होने के सबूत मिले हैं, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध स्वागतयोग्य कदम है। इसी बीच मध्यप्रदेश में भी इस संगठन पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उज्जैन में पीएफआई कार्यालय को सील किए जाने की भी सूचना है।

मोदी सरकार का राहत भरा फैसला, 80 करोड़ लोगों को तीन महीने और मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली (आरएनएस)। महंगाई की मार झेल आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है। अब गरीबों को दिसंबर, 2022 तक मुफ्त अनाज मिल सकेगा। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी 'लॉकडाउन' से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का किया लोकार्पण

- कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देगा लता मंगेशकर चौक : नरेन्द्र मोदी
- लता मंगेशकर के स्वरों से होते हैं प्रभु श्रीराम के दर्शन

अयोध्या (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में आयोजित लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण कार्यक्रम विडियो के माध्यम से भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जयंती पर बधाई देते हुये कहा कि नवरात्रि के तृतीय तिथि पर मां चन्द्रघंटा की साधना का पर्व भी है। उन्होंने लता जी को मां चन्द्रघंटा की साधना का स्वरूप बताते हुये प्रशंसा की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गयी मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की साधना का प्रतीक है।

उन्होंने कहा क भारत रत्न लता मंगेशकर के स्वरों से प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं, अयोध्या में निर्मित लता मंगेशकर चौक कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि लता जी के जीवन का जो लाभ हमें मिला वही लाभ उनके सुरों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे। उन्होंने बताया कि लता जी से जुड़ी कई यादें हैं उनसे जब भी मिला वाणी की मिठास अभिभूत कर देती थी। वह कहती थी मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है। मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने के बाद उनके पास लता जी का फोन आया। लता जी ने कहा कि वह बेहद आनंद की अनुभूति कर रही हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो गया है। इस दौरान लता जी ने कहा कि मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आएं, अब अयोध्या में राम आने वाले हैं। उन्होने कहा कि प्रभु राम के भक्त उनके आने से पहले आते हैं, इसीलिए राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में लता चौक बन गया। मोदी ने कहा कि राम हमारी सभ्यता, नैतिकता, मूल्य और कर्तव्य के जीवन का आदर्श हैं। अयोध्या से रामेश्वरम तक प्रभु राम कण-कण में समाए हुए हैं। मोदी ने कहा कि जिस तरह लता जी के गाए राम के भजनों में उनकी आस्था और पवित्रता गूंजती है उसी तरह उनकी आवाज में वंदे मातरम सुनकर भारत माता का विराट स्वरूप नजर आता है।उन्होंने कहा कि लता चौक देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा स्थली के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कला को विश्व भर में पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। भारत की सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाना दायित्व भी है। उन्होंने अयोध्या वासियों से के सामने अपनी अपेक्षा रखते हुए कहा कि निकट भविष्य में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। देश और विदेश से कोटि-कोटि लोग आएंगे। ऐसे में अयोध्या को भव्य, सुंदर और स्वच्छ बनाना होगा, यह अयोध्या के हर नागरिक का दायित्व है। इस दिशा में आज से ही काम शुरू कर दें।

कुलगाम मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बीती शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी मारे गये।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुलगाम के अहवाटू इलाके में उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया।

सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम एक विशेष स्थान पर पहुंची तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं। बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गयी। उन्होंने कहा कि शुरुआती गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी मारा गया था। मुठभेड़ में आज रात एक अन्य आतंकवादी भी मारा गया, जिससे मरने वालों की संख्या दो हो गई।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादी स्थानीय थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए और कई आतंकी अपराधों में शामिल थे।

एडीजीपी कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान कुलगाम में बटपोरा के मोहम्मद शफी गनी और टाकिया गोपालपोरा के मोहम्मद आसिफ वानी उर्फ यावर के रूप में हुई है। घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्री सहित दो एके 47 राइफल और गोला-बारूद बरामद बरामद किया गया।

पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में यह दूसरी मुठभेड़ थी। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के बटपोरा इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के अबू हुराह के रूप में पहचाने गए एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत हो गई और दो नागरिकों सहित तीन लोग घायल हो गए थे।

अंकिता के परिजनों को मिलेगी 25 लाख रूपए की आर्थिक मदद, सीएम धामी का ऐलान

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है।

पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। सीएम धामी ने कहा, मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

वहीं, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के लिए अब मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। ऋषिकेश निवासी कैलाश सेमवाल ने अंकिता भंडारी के गांव जाकर एक लाख रुपए देकर उनकी आर्थिक सहायता की है। साथ ही कुछ और लोग भी अंकिता भंडारी के परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रयास में जुटे हैं।

नोटबंदी पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक स्थगित, एससी ने कहा- देखना होगा इसे सुनने की जरूरत है या नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि नोटबंदी को चुनौती दे रही याचिकाएं अकादमिक तो नहीं बन गई हैं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट के अनुसार, यह भी पता लगाना होगा कि इसे सुना जा सकता है या नहीं। सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था।

बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान बेंच 58 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ये याचिकाएं केंद्र सरकार के साल 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नजीर ने सवाल किया, 'क्या अब भी यह बचा है।' इसपर वकील ने जवाब दिया कि शीर्ष न्यायालय ने साल 2016 में कई मुद्दों की पहचान की थी और मामले को संविधान बेंच के पास भेज दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उच्च न्यायालयों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में जस्टिस गवई की तरफ से भी इसी तरह का सवाल किया गया।

एक अन्य वकील ने कहा कि मामले के दो पहलु हैं। पहला कि इसमें सरकार के निर्णय की वैधता और लोगों की तरफ से किए गए परेशानियों का दावे शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'व्यवहारिक उद्देश्यों के लिहाज से ये मुद्दे अब नहीं बचे हैं। अगर शैक्षणिक उद्देश्य से बेंच इन पर विचार करना चाहती है, तो हम मदद कर सकते हैं।'

इसपर जस्टिस गवई ने सवाल किया, 'इतने बड़े स्तर पर लंबित होने के बाद भी पांच जजों की बेंच के अकादमिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए? क्या अकादमिक मुद्दों के लिए समय है?' जस्टिस नजीर ने मामले पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा, 'पहला सवाल है कि हम यह जांच करेंगे कि क्या यह मुद्दा अकादमिक बन गया है और इसे सुना जा सकता है या नहीं।'

डब्ल्यूबीबीपीई घोटाला : एससी ने माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी से सुरक्षा शुक्रवार तक बढ़ाई

कोलकाता (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को एक अस्थायी राहत देते हुए बुधवार को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी।

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को रात 8 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल विधायक को गिरफ्तारी से राहत दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बुधवार को डब्ल्यूबीबीपीई से जुड़े करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगाई।

मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। नवीनतम विकास का मतलब है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट से छेड़छाड़ और नष्ट करने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, और भट्टाचार्य को सीबीआई का सामना करने से कोई राहत नहीं है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच प्रक्रिया में सहयोग न करने के मामले में भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने की छूट भी दी थी। हालांकि, भट्टाचार्य, जो अभी दिल्ली में हैं, को कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में मौजूद रहने के फैसले का पालन करना बाकी है।

अब देखना यह है कि भट्टाचार्य कब कोलकाता पहुंचते हैं और पूछताछ का सामना करने के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचते हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि शीर्ष अदालत ने बुधवार को उन्हें दो और दिनों के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी रूप से बचा लिया, लेकिन इसने उन्हें मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से बचने की अनुमति नहीं दी। आरोप है कि 2014 में कुल 20.90 लाख उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 12 लाख ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया, जिससे भर्ती में गड़बड़ी का रास्ता साफ हो गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि भट्टाचार्य के डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ओएमआर शीट क्यों और कैसे नष्ट की गई।

लखीमपुर खीरी में भीषण सडक़ हादसा, बस और डीसीएम की टक्कर में 6 लोगों की मौत

लखीमपुर खीरी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बड़ा सडक़ हादसा हुआ है। हादसे में कई महिलाओं समेत छह यात्रियों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने इन दोनों गाडिय़ों में फंसे लोगों को अस्पताल भेजने के बाद इन्हें सडक़ से हटाने का काम शुरू कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुधवार की अल सुबह ईसानगर थाना क्षेत्र के ऐरा खमरिया पुल के पास हुआ हादसा। बस धौराहरा से लखीमपुर की ओर आ रही थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि डीसीएम किस दिशा से आ रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बस में सवार सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जहां डॉक्टरों ने छह लोगों को तो मृत घोषित कर दिया है, वहीं बाकियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया है।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, तीन की हुई मौत

हरदोई (आरएनएस)। जिले में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला,तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक पर सवार होकर घर जा रहे तीन युवकों को पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया,हादसे में तीनो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई,मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी है,वही ट्रक चालक दुर्घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भागा हालांकि उसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह जेसीबी को टक्कर मारकर भाग निकला,जिसके बाद आगे घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिले की कोतवाली संडीला इलाके में संडीला मल्लावां रोड पर स्थित नानकखेड़ा गांव के पास यह दुर्घटना घटी है। दरअसल स्थानीय थाना क्षेत्र के टिमरुख गांव निवासी लोकेश (20) और अनूप (21) मजदूरी करते थे,दोनों हलवाई खेड़ा गांव से मजदूरी कर व दूसरी बाइक पर सवार थाना कासिमपुर क्षेत्र के जमसारा गांव निवासी जयप्रकाश सण्डीला से अपने घर जा रहे थे,तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों बाइक को रौंद दिया,जिससे बाइकों पर सवार तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई,हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला हालांकि रास्ते में उसे गौसगंज में जेसीबी लगाकर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन जेसीबी को टक्कर मारते हुए वह भाग निकला,अंत में पुलिस ने कस्बा मल्लावा में घेराबंदी कर ट्रक को रुकवा कर कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है,दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला भेजा है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी है,इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव का कहना है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है,पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है,परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आमिर खान के क्रिप्टोकरंसी वॉलेट से 14.53 करोड़ रुपए जब्त, गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को लगाई ठगी

कोलकाता (आरएनएस)। कोलकाता पुलिस ने मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए कई लोगों को ठगने के मुख्य आरोपी आमिर खान के एक क्रिप्टोकरंसी वॉलेट से 14.53 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। यह राशि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 10 सितंबर को कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में शाही अस्तबल लेन में आमिर खान के पिता नसीर खान के आवास से बरामद 17.32 करोड़ रुपये की नकदी के अतिरिक्त है। उस बिनेंस की पहचान कर ली गई है, जहां आमिर खान के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट प्लेटफॉर्म से 14.53 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।

आमिर खान, जिसे 24 सितंबर को कोलकाता पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था, इस समय शहर की पुलिस की हिरासत में है और कोलकाता की निचली अदालत में पेश होने की उसकी अगली तारीख 8 अक्टूबर है। इस बीच, ईडी घोटाले के अन्य लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए आमिर खान को अपनी हिरासत में लेने के लिए भी उत्सुक था। 8 अक्टूबर को अदालत के घटनाक्रम के आधार पर केंद्रीय एजेंसी मामले में कानूनी कार्यवाही के अपने अगले पाठ्यक्रम पर फैसला करेगी।

ईडी ने 10 सितंबर को कोलकाता में छह परिसरों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की थी। आमिर खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया था, जिसे जनता को ठगने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।

शुरुआत में उपयोगकर्ताओं को कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया था और बटुए में शेष राशि को परेशानी मुक्त तरीके से निकाला जा सकता था, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक विश्वास मिला, जिन्होंने कमीशन के अधिक प्रतिशत के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू किया और अधिक संख्या में खरीद आदेश दिया। जनता से अच्छी खासी रकम इक_ा करने के बाद किसी न किसी बहाने उस ऐप से अचानक निकासी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उस ऐप सर्वर से प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था।